**संख्या-258/2024/आई/768884/41-2002-001-120-2024-CN-1857255**

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0, लखनऊ।

**पर्यटन अनुभाग-2** **लखनऊ, दिनांक 14 अक्टूबर, 2024**

**विषयः- जनपद प्रयागराज में स्थित तीन प्रवेश द्वारों के पुनरोद्धार के कार्य की परियोजना को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-5010/6-1-1/(288)/2023-24 दिनांक 30.09.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जनपद प्रयागराज में स्थित तीन प्रवेश द्वारों के पुनरोद्धार के कार्य की परियोजना को मेला प्राधिकरण द्वारा कराये जाने के कारण परियोजना को निरस्त किये जाने तथा शासनादेश संख्या-934/2023/5704/001-41-2023-507-बजट-2023 दिनांक 07.10.2023 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 30.00 लाख (रू0 तीस लाख मात्र) को राजकीय राजकोष में जमा किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-934/2023/5704/001-41-2023-507-बजट-2023 दिनांक 07.10.2023 द्वारा जनपद प्रयागराज में स्थित तीन प्रवेश द्वारों के पुनरोद्धार के कार्य की स्वीकृत परियोजना को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया तदनुसार शासनादेश संख्या-934/2023/5704/001-41-2023-507-बजट-2023 दिनांक 07.10.2023 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 30.00 लाख (रू0 तीस लाख मात्र) को ब्याज सहित राजकोष में जमा कराते हुए उक्त की सूचना शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

( सर्वेश कुमार सिंह )
अनु सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- जिलाधिकारी, प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० प्राजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी (रा0यो0), पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

( सर्वेश कुमार सिंह )
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in